


दिनांक 26.08.2009

// दिशानिर्देश स्पष्टीकरण //

कतिपय महाविद्यालय द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के प्रकाश में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही की जाय। पूर्व निर्देश के पृष्ठ क्रमांक 09 की कंडिका-01 को निम्नानुसार पढ़ा जाय :-

1. छात्र-छात्रा के 12 वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा, वर्ष 2004-05 के पूर्व न की हो।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)



(ए०सी० अग्रवाल)

वि०क०अ०,

उच्च शिक्षा, म०प्र०